NEXT IAS

भारत की राजव्यवस्था

(भाग–1)

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

भारत की राजव्यवस्था (भाग-1)

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024
द्वितीय संस्करण: 2025
तृतीय संस्करण: 2026

भारत की राजव्यवस्था
(भाग–1)

इकाई – I: भारत का संविधान

इकाई – II: विधायिका

इकाई – III: कार्यपालिका

इकाई – IV: न्यायपालिका

विषयसूची

भारत की राजव्यवस्था (भाग-1)

इकाई – I: भारत का संविधान

अध्याय 1

भारतीय संविधान का क्रमिक विकास
(Evolution of Indian Constitution)..2

1.1 परिचय (Introduction)...2

1.1.1 अरस्तू के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण (Aristotle's Classification of Constitutions)..2

1.1.2 संविधान का महत्त्व (Significance of the Constitution)...........2

1.2 संविधानों का वर्गीकरण (Classification of Constitutions) 3

1.2.1 संहिताबद्ध संविधान (Codified Constitution).3

1.2.2 असंहिताबद्ध संविधान (Uncodified Constitution).......................3

1.3 ब्रिटिश काल के दौरान संवैधानिक विकास (Constitutional Development during British Era)........3

1.3.1 कंपनी शासन (Company Rule) (1772-1858)................4

1.3.2 ब्रिटिश ताज/राजशाही का शासन (The Crown Rule) (1858-1947)..............6

अध्याय 2

संविधान का निर्माण (Making of the Constitution).............16

2.1 परिचय (Introduction)..16

2.2 भारतीय संविधान का विकास (Evolution of The Indian Constitution)....................16

2.3 संविधान सभा तक की यात्रा (Journey to Constituent Assembly)........................17

2.3.1 क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)................17

2.3.2 कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan)........................17

2.3.3 एटली की घोषणा (Attlee's Declaration)...18

2.3.4 3 जून योजना (माउंटबेटन योजना) (3rd June Plan)..................................18

2.4 संविधान सभा की संरचना / संघटन (Composition of Constituent Assembly).................19

2.5 संविधान सभा की कार्यप्रणाली (Working of Constituent Assembly)........................20

2.5.1 संविधान सभा की कार्यप्रणाली के चरण (Stages in Working of Constituent Assembly)..20

2.5.2 उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution).....20

2.5.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किये गए परिवर्तन (Changes Made by the Indian Independence Act of 1947)................21

2.6 संविधान सभा की समितियाँ (Committees of the Constituent Assembly).............22

2.6.1 कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (Experts Committee of the Congress)..22

2.6.2 प्रमुख/बड़ी समितियाँ (Major Committees)..22

2.6.3 छोटी समितियाँ (Minor Committees).........22

2.7 प्रारूप समिति (Drafting Committee)..........................23

2.8 कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य (Some Important Facts).............23

2.9 संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन (Enactment and Enforcement of Constitution).........23

2.10 संविधान का हिंदी पाठ (Hindi Text of the Constitution)..............................24

2.11 संविधान सभा की आलोचना (Criticism of Constituent Assembly)........................24

अध्याय 3

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
(Salient Features of Indian Constitution)..........................25

3.1 परिचय (Introduction)...25

3.2 एकल नागरिकता (Single Citizenship).......................25

3.3 न्यायसंगत और गैर-न्यायिक अधिकारों का समावेश (Inclusion of Justiciable and Non-Justiciable Rights)..26

3.4 संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति (Secular Nature of the Constitution)........................26

3.5 स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका (Independent and Integrated Judiciary).................26

3.6 सरकार का संसदीय स्वरूप (Parliamentary form of Government).......................27

3.7 संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय (Synthesis of Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy)..27

3.8 आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)...........27

3.9 सबसे लंबा लिखित संविधान (Lengthiest Written Constitution)...........................28

3.10 संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)............................28

3.11 शक्ति का पृथक्करण (Separation of Power)................28
3.12 त्रिस्तरीय शासन प्रणाली (Three Tier Government)........29
3.13 अर्ध-संघीय संरचना (Quasi-Federal Structure) 29
3.14 लचीलापन और कठोरता (Flexibility and Rigidity).........29
3.15 विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान (Detailed Administrative Provisions).......................30
3.16 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for Certain States)....................30
3.17 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) 30
3.18 विभिन्न स्रोतों से लिया गया (Drawn from Various Sources)...............................30
3.19 सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) 31
3.20 स्वतंत्र निकाय (Independent Bodies)........................31

अध्याय 4

संविधानों की तुलना (Comparison of Constitutions)...........34

4.1 परिचय (Introduction)...34
4.2 अन्य संविधानों की मुख्य विशेषताएँ.............................34
- 4.2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका (USA).......................34
- 4.2.2 यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom - UK) 35
- 4.2.3 फ्रांस (France).......................................37
- 4.2.4 रूस (Russia)...38
- 4.2.5 जर्मनी (Germany)..................................39
- 4.2.6 जापान (Japan)......................................40
- 4.2.7 चीन (China)...41
- 4.2.8 दक्षिण अफ्रीका (South Africa).................42
- 4.2.9 आयरलैंड (Ireland).................................42

4.3 भारतीय संविधान और अन्य संविधान: एक तुलना...........43
4.4 भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली: एक तुलनात्मक विश्लेषण (Working of Indian Constitution: A Comparative Analysis)...45
- 4.4.1 भारतीय संविधान: संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय (Indian Constitution: A Synthesis of Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy) 45
- 4.4.2 संविधान का पाठ-प्रस्तावना (Text of the Constitution-Preamble)......45

4.5 संविधान सभाओं का कार्य: एक तुलना (Working of Constituent Assemblies: A Comparison)..46
- 4.5.1 भारत (India) 46
- 4.5.2 अन्य देश (Other Countries)...................46

4.6 दक्षिण एशियाई संविधान: एक तुलना (South Asian Constitutions: A Comparison).............46
4.7 सार्क देशों में अद्वितीय संवैधानिक प्रावधान (Unique Constitutional Provisions in SAARC Countries)...48
- 4.7.1 नेपाल (Nepal) 48
- 4.7.2 मालदीव (Maldives) 48
- 4.7.3 भूटान (Bhutan)......................................49
- 4.7.4 पाकिस्तान (Pakistan)...............................49
- 4.7.5 श्रीलंका (Sri Lanka) 49
- 4.7.6 बांग्लादेश (Bangladesh).........................49

4.8 निष्कर्ष (Conclusion) 49

अध्याय 5

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble to the Constitution of India)............................50

5.1 परिचय (Introduction) 50
5.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).............50
- 5.2.1 उद्देश्य प्रस्ताव का महत्त्व (Significance of Objectives Resolution)..50
- 5.2.2 प्रस्तावना की आवश्यकता (Need for Preamble) 51

5.3 प्रस्तावना (Preamble) 51
5.4 संविधान में प्रस्तावना का महत्त्व (Significance of the Preamble in Constitution).........54
5.5 प्रस्तावना का संशोधन (Amendment of the Preamble)..54
5.6 प्रस्तावना के साथ जुड़े वाद/विवाद (Issues Associated with Preamble) 55
- 5.6.1 प्रस्तावना: संविधान का भाग है (Preamble: A Part of the Constitution)..55
- 5.6.2 बेरूबाड़ी संघ वाद (1960) [Berubari Union Case (1960)] 55
- 5.6.3 केशवानंद भारती वाद (1973) [(Kesavananda Bharati Case (1973)] .55

5.7 प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल करने के संदर्भ में बहस का विश्लेषण (Analysis of Debate on Inclusion of 'Socialist' word in Preamble)..............................55
- 5.7.1 संवैधानिक बहस (Constitutional Debates) 56
- 5.7.2 विपक्ष में तर्क (Arguments Against).........56
- 5.7.3 पक्ष में तर्क (Arguments For)..................56

5.8 प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने पर बहस का विश्लेषण (Analysis of Debate on Inclusion of 'Secular' word in Preamble)...............................56
5.9 निष्कर्ष (Conclusion)...57

अध्याय 6

संघ और उसके क्षेत्र (Union and its Territory)....................58
6.1 परिचय (Introduction) 58
6.2 अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र (Article 1: Name and Territory of the Union) 58
6.2.1 डॉ. बी.आर. अंबेडकर का मत (Dr. B.R. Ambedkar's Opinion) 58
6.3 अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Article 2: Admission or Establishment of New States) 59
6.4 राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States) 59
6.4.1 राज्य पुनर्गठन समितियाँ (State Reorganization Committees)......59
6.4.2 राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganization Act, 1956) 60
6.5 अनुच्छेद 3: मौजूदा राज्यों के लिए प्रावधान (Article 3: Provision for Existing States) 61
6.6 अनुच्छेद 4: राज्यों से संबंधित अन्य मामले (Article 4: Other Matters Related to States)............62
6.7 भारतीय राज्यों के गठन की पृष्ठभूमि (Background of Formation of Indian States)............62
6.8 नए एवं छोटे राज्यों की माँग (Demand for New and Smaller States)....................64
6.8.1 उत्तर प्रदेश का विभाजन (Division of Uttar Pradesh)..................64
6.8.2 सौराष्ट्र या दक्षिणी गुजरात (Saurashtra or Southern Gujarat).........65
6.8.3 बोडोलैंड या उत्तरी असम (Bodoland or Northern Assam)............65
6.8.4 गोरखालैंड (उत्तर पश्चिम बंगाल) [Gorkhaland (Northern West Bengal)]..65
6.8.5 विदर्भ या पूर्वी महाराष्ट्र (Vidarbha or Eastern Maharashtra)......66
6.8.6 कोंगु नाडु या दक्षिणी तमिलनाडु (Kongu Nadu or Southern Tamil Nadu) 66
6.9 राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश: एक तुलना (State and Union Territory: A Comparison)..............66
6.9.1 विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य (Special Category Status State)...........67
6.9.2 बड़े राज्य एवं छोटे राज्य: एक तुलना (Big States and Small States: A Comparison) 67
6.10 दिल्ली: राज्य का दर्जा (Delhi: Statehood)..................68
6.10.1 दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में तर्क (Arguments Favouring Statehood to Delhi) 68
6.10.2 दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरुद्ध तर्क (Arguments Against Full Statehood to Delhi) 68
6.11 कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा (Issue of Kachchatheevu Island)............................69
6.12 चीन के साथ सीमा विवाद (Boundary Issue with China).................................69
6.13 भारत की समुद्री सीमाओं का परिसीमन (Delimitation of India's Maritime Boundaries) 70
6.14 आगे की राह (Way Forward) 70

अध्याय 7

नागरिकता (Citizenship) 71
7.1 परिचय (Introduction) 71
7.2 भारत की नागरिकता: संवैधानिक प्रावधान (Citizenship of India: Constitutional Provisions) 72
7.3 नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)....73
7.3.1 नागरिकता का अर्जन (Acquisition of Citizenship)...73
7.3.2 नागरिकता का पर्यवसान या समाप्ति (Termination or Loss of Citizenship).....74
7.4 मुद्दे और बहस (Issues and Debates) 75
7.4.1 दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) 75
7.4.2 ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई (OCI, PIO and NRI) 75
7.4.3 हाल ही में हुए परिवर्तन (Recent Changes)76
7.5 प्रवासियों की नागरिकता (Citizenship of Migrants) 76
7.6 नागरिकता संबंधी आँकड़ों का पंजीकरण (Registration of Citizenship Data)..........................77
7.6.1 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) [National Register of Citizens (NRC)]...77
7.6.2 आधार (Aadhaar) 77
7.6.3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) [The National Population Register (NPR)]...................................78
7.6.4 पुर्तगाली नागरिकता (Portuguese Citizenship)......................78
7.6.5 मोंटेइरो वाद (Monteiro Case)...................78
7.7 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [The Citizenship (Amendment) Act, 2019] 78

अध्याय 8

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)...........................80
8.1 परिचय (Introduction) 80
8.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)...............80
8.3 अधिकारों के प्रकार (Types of Rights)........................80
8.4 मानवाधिकार का अर्थ (Meaning of Human Rights) 81

8.5 मौलिक अधिकारों का अर्थ (Meaning of Fundamental Rights) 82

8.6 मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions on Fundamental Rights) .. 83

8.7 मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Fundamental Rights) 84

8.8 भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में मौलिक अधिकार: एक तुलना (Fundamental Rights in India, US and UK: A Comparison) 85

8.9 राज्य और कानून (State and Laws) 85

8.9.1 राज्य (State) 85

8.9.2 राज्य निर्धारण के लिए परीक्षण (Test for Determining State) 85

8.9.3 विधि (Laws) 86

8.10 मौलिक अधिकारों में संशोधन (Amendability of Fundamental Rights) 86

8.11 समता का अधिकार (Right to Equality) 88

8.11.1 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण (Equality before Law and Equal Protection of Law) 88

8.12 भेदभाव का निषेध (Prohibition of Discrimination) 90

8.13 सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता (Equality of Opportunity in Public Employment) 91

8.14 अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability) 94

8.15 उपाधियों का अंत (Abolition of Titles) 95

8.16 स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) 96

8.16.1 अनुच्छेद 19 (1) (a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (a) Freedom of Speech and Expression) 97

8.16.2 अनुच्छेद 19 (1) (b) शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (b) Freedom of Peaceful Assembly) 101

8.16.3 अनुच्छेद 19 (1) (c) समागम या संघ बनाने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (c) Freedom of Association) 101

8.16.4 अनुच्छेद 19 (1) (d) अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (d) Freedom of Movement) 102

8.16.5 अनुच्छेद 19 (1) (e) निवास करने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (e) Freedom of Residence) 102

8.16.6 अनुच्छेद 19 (1) (g) व्यवसाय की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (g) Freedom of Profession) 102

8.17 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सरंक्षण (Protection from Conviction for Offences) 103

8.18 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (Protection of Life and Personal Liberty) 104

8.19 शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 106

8.20 नजरबंदी एवं गिरफ्तारी से संरक्षण (Protection Against Arbitrary Arrest and Detention) 107

8.21 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) 109

8.21.1 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour, Article 23) 110

8.21.2 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अनुच्छेद 24 (Prohibition of Employment of Children in Factories, Article 24) 110

8.22 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) 111

8.22.1 अंत:करण, मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience, Profession, Practice and Propagation) 111

8.22.2 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (Freedom to Manage Religious Affairs) 112

8.22.3 धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (Freedom from Payment of Taxes for Promotion of Religion) 113

8.22.4 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता (Freedom from Attending Religious Instructions) 113

8.23 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) 114

8.23.1 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of Minorities) .. 114

8.23.2 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (Right to Establish and Administer Educational Institutions) 114

8.24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) 115

8.25 अन्य प्रावधान (Other Provisions) 117

8.25.1 मौलिक अधिकार और सशस्त्र बल (Fundamental Rights and Armed Forces) 117

8.25.2 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार (Fundamental Rights during Martial Law) 118

8.25.3 कुछ मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन (Implementation of Certain Fundamental Rights) 118

8.26 मूल अधिकारों के अपवाद (Exception to Fundamental Rights) 119
- 8.26.1 संपदा के अधिग्रहण आदि प्रदत्त करने वाले कानूनों की सुरक्षा (Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates] etc.) 119
- 8.26.2 कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता (Validation of Certain Acts and Regulations) 119
- 8.26.3 कुछ नीति-निदेशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले सुरक्षा कानून (Saving Laws Giving Effect to Certain Directive Principles) 120

8.27 भाग III के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य संवैधानिक अधिकार (Rights Outside Part III) 120

8.28 मूल अधिकारों की आलोचना (Criticism of Fundamental Rights) 120

अध्याय 9

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) 122

9.1 परिचय (Introduction) 122

9.2 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) 123

9.3 संविधान के भाग IV के अतिरिक्त अन्य भागों में उल्लिखित निर्देश (Directives Outside Part IV of the Constitution) 127

9.4 निदेशक तत्त्व: आलोचनात्मक विश्लेषण (DPSP: A Critical Analysis) 127
- 9.4.1 उपयोगिता (Utility) 127
- 9.4.2 प्रवर्तनीयता (Enforceability) 128
- 9.4.3 आलोचना (Criticism) 128

9.5 मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: संबंध (FR and DPSP: Relationship) 129

9.6 नीति निदेशक तत्त्वों से संबंधित समसामयिक मुद्दे (Current Issues Related to DPSP) 130
- 9.6.1 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) 130
- 9.6.2 प्राचीन स्मारकों का संरक्षण (Ancient Monuments Conservation) 131
- 9.6.3 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 [Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2016] 131
- 9.6.4 मद्य निषेध (शराब बंदी) (Liquor Ban) 132
- 9.6.5 गौहत्या पर प्रतिबंध (Cow Slaughter Ban) 133

अध्याय 10

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties) 135

10.1 परिचय (Introduction) 135

10.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 135

10.3 मूल कर्त्तव्यों की आवश्यकता (Need for Fundamental Duties) 136

10.4 स्वर्ण सिंह समिति 136

10.5 मूल कर्त्तव्यों की विशेषताएँ (Features of Fundamental Duties) 136

10.6 मूल कर्त्तव्य एक नजर में (Fundamental Duties at a Glance) 137

10.7 मूल कर्त्तव्यों की आलोचना (Criticism of Fundamental Duties) 137

10.8 मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व और मूल कर्त्तव्य: संबंध (Fundamental Rights, DPSP and Fundamental Duties: Relation) 137
- 10.8.1 मौलिक कर्त्तव्य और मौलिक अधिकार: संबंध (Fundamental Duties and Fundamental Rights: Relation) 138
- 10.8.2 मूल कर्त्तव्य और नीति-निदेशक तत्त्व: संबंध (Fundamental Duties and DPSP: Relation) 138
- 10.8.3 मौलिक कर्त्तव्य और प्रस्तावना: संबंध (Fundamental Duties and Preamble: Relation) 138

10.9 मुद्दों पर आधारित आलोचनात्मक विश्लेषण (Issue Based Critical Analysis) 139
- 10.9.1 संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संस्थाएँ (Constitution and National Flag, National Anthem and Institutions) 139
- 10.9.2 स्वाधीनता संग्राम के आदर्श (Ideals of Freedom Struggle) 139
- 10.9.3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता (Sovereignty, Unity & Integrity of India) 140
- 10.9.4 देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना (Defending the Country and Rendering National Service) 140
- 10.9.5 सद्भाव, भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना (Promoting Harmony, Brotherhood and Respecting Women's Dignity) 140
- 10.9.6 हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण (Preserving Rich Heritage of Our Composite Culture) 141
- 10.9.7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना (Protecting Natural Environment) 142
- 10.9.8 वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा और निरंतर सुधार की भावना का विकास करना (Developing Scientific Temper and Spirit of Inquisitiveness and Reform) 142
- 10.9.9 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना (Safeguarding Public Property and Abstain from Violence) 142

10.9.10 उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना (Striving towards Excellence)............143

10.9.11 बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (Providing Opportunities for Education to Children).......................143

10.10 मौलिक कर्त्तव्य: हालिया मुद्दे (Fundamental Duties: Current Issues) 143

10.10.1 मतदान: एक मौलिक कर्त्तव्य (Voting: A Fundamental Duty)...........143

10.10.2 कर भुगतान करने का कर्त्तव्य (Duty to Pay Tax) 145

10.11 NCRWC सिफारिशें (NCRWC Recommendations)... 146

10.12 "अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं" – न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ("Rights and Duties go Hand in Hand" - Justice J.S. Verma Committee, 1999)... 146

10.13 आगे की राह (Way Forward) 146

अध्याय 11

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution) .. 147

11.1 परिचय (Introduction).. 147

11.2 संशोधन की प्रक्रिया और इसके प्रकार (Amending Process and It's Types) 147

11.2.1 साधारण बहुमत द्वारा (By Simple Majority)...........................147

11.2.2 विशेष बहुमत द्वारा (By Special Majority).........................148

11.2.3 संसद के विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति द्वारा (By Special Majority of Parliament and Consent of States).....148

11.3 भारत में संशोधन प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Amendment Procedure in India) 149

11.4 संविधान की मूल संरचना और संशोधन बहस (Basic Structure of Constitution and Amendment Debate) 149

11.5 संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Amendment Procedure) 151

11.6 निष्कर्ष (Conclusion)... 151

इकाई – II: विधायिका

अध्याय 12

संसद (Parliament)..153

12.1 परिचय (Introduction).. 153

12.2 भारतीय संसद का क्रमिक विकास या उद्विकास (Evolution of Indian Parliament) 153

12.3 संसद के सदन (Houses of Parliament)................... 154

12.3.1 लोकसभा (Lok Sabha) 154

12.3.2 राज्यसभा (Rajya Sabha).......................155

12.3.3 लोकसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग न करने के कारण (Reasons for not using Proportional Representation System for Lok Sabha Elections) 156

12.3.4 संसद में प्रयुक्त भाषा (Language Used in Parliament) 157

12.4 राष्ट्रपति: संसद का एक अंग (President: A Part of Parliament) 157

12.5 संसद के पदाधिकारी (Office Bearers of Parliament).. 158

12.5.1 लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) 158

12.5.2 लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha).........159

12.5.3 लोकसभा के अध्यक्षों का पैनल (तालिका) (Panel of speakers of Lok Sabha)..159

12.5.4 राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha)................159

12.5.5 राज्यसभा के उप-सभापति (Deputy Chairman of Rajya Sabha)....160

12.5.6 राज्यसभा के उप-सभापतियों का पैनल (Panel of Vice Chairpersons of Rajya Sabha) 160

12.6 संसद में नेता (Leaders in Parliament)..................... 160

12.6.1 सदन का नेता (Leader of House) 160

12.6.2 नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) 160

12.6.3 सचेतक (Whip) 161

12.6.4 सचेतक, दल-बदल विरोधी कानून और विधायी स्वतंत्रता (Whip, Anti-Defection Law and Legislative Independence) 161

12.7 संसद की सदस्यता (Membership of Parliament)....... 161

12.7.1 अर्हताएँ (Qualifications).......................161

12.7.2 निरर्हताएँ/सीटों का रिक्त होना (Disqualifications/Vacation of Seats)..162

12.7.3 सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान (Oath/Affirmation of Members)...........163

12.7.4 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते (Salaries and Allowances of Members)..164

12.8 संसदीय कार्यवाही (Parliamentary Proceedings) 164

12.8.1 सत्र (Sessions) 164

12.8.2 विघटन (Dissolution)............................165

12.8.3 संसदीय कार्यवाही के उपकरण (Devices of Parliamentary Proceedings) 166

12.9 विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) 169

12.9.1 सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य विधेयक: एक तुलना (Public and Private Member Bill: A Comparison) 169

12.9.2 विधेयकों का वर्गीकरण (Classification of Bills) 169

12.10 संसद में बजट (Budget in Parliament) 173

12.10.1 वित्त पर संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control Over Finance) 173

12.10.2 बजट (Budget) 173

12.10.3 सामान्य बजट और रेल बजट: पृथक्करण और एकीकरण (General Budget and Railway Budget: Separation and Unification) .. 174

12.10.4 बजट: संवैधानिक प्रावधान (Budget: Constitutional Provision) 174

12.10.5 भारित व्यय (Charged Expenditure) 174

12.10.6 बजट के अधिनियमन के चरण (Stages in Enactment of Budget) 174

12.10.7 अन्य प्रकार के अनुदान (Other Types of Grants) 177

12.11 संसद की बहुकार्यात्मक भूमिका (Multi-Functional Role of Parliament) 177

12.11.1 विधायी शक्तियाँ एवं कार्य (Legislative Powers and Functions) ... 177

12.11.2 कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य (Executive Powers and Functions) 178

12.11.3 वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य (Financial Powers and Functions) 178

12.11.4 सांविधिक शक्तियाँ एवं कार्य (Constituent Powers and Functions) .. 179

12.11.5 न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य (Judicial Powers and Functions) 179

12.11.6 चुनावी शक्तियाँ एवं कार्य (Electoral Powers and Functions) 179

12.11.7 अन्य शक्तियाँ एवं कार्य (Other Powers and Functions) 179

12.12 संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता (Ineffectiveness of Parliamentary Control) 179

12.13 संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) 180

12.13.1 व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual Privilege) 180

12.13.2 सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges) 180

12.13.3 संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण (Codification of Parliamentary Privileges) 181

12.13.4 विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना (Breach of Privilege and Contempt of House) 181

12.14 भारतीय संसद की संप्रभुता (Sovereignty of Indian Parliament) 182

12.15 संसद की अब तक की कार्यप्रणाली (Working of Parliament So Far) 182

12.16 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए संसद में सीटों का आवंटन (Allocation of Seats in Parliament for States and Union Territories) 183

12.17 लोकसभा (2019) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें [Seats Reserved for SCs and STs in the Lok Sabha (2019)] 184

12.18 लोकसभा की अवधि (पहली लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक) [Durations of the Lok Sabha (From First Lok Sabha to Present Lok Sabha)] 185

12.19 लोकसभा अध्यक्ष (पहली लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक) (Speakers of the Lok Sabha (From First Lok Sabha to Present Lok Sabha)) 185

अध्याय 13

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)................ 186

13.1 परिचय (Introduction) 186

13.2 समितियों की आवश्यकता (Need for Committees) 186

13.3 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) 187

13.4 संसदीय समितियों के प्रकार (Types of Parliamentary Committees) 187

13.4.1 स्थायी समितियाँ (Standing Committees) 187

13.4.2 तदर्थ समितियाँ (Ad-hoc Committees) 188

13.4.3 संयुक्त समितियाँ और प्रवर समितियाँ (Joint Committees and Select Committees) 188

13.5 महत्त्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी संरचना (Important Committees and their Composition) 189

13.5.1 लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) 189

13.5.2 प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) 190

13.5.3 सार्वजनिक उद्यम समिति (Committee on Public Undertakings) . 191

13.5.4 विभागीय स्थायी समितियाँ (Departmental Standing Committees) 191

13.6 जाँच समिति (Committee of Enquiry) 193

13.6.1 आचार समिति (Ethics Committee) 193

13.6.2 याचिका समिति (Committee on Petitions) 193

13.6.3 विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) 193

13.7 जाँच एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति (Committee to Scrutinize and Control) 193

13.7.1 सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances) 193

13.7.2 अधीनस्थ विधायन समिति (Committee on Subordinate Legislation) 193

13.7.3 विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति (Committee on Papers Laid on the Table) 194

13.7.4 अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति (Committee on Welfare of SCs and STs) 194

13.7.5 महिला सशक्तीकरण समिति (Committee on Empowerment of Women) 194

13.7.6 लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति (Joint Committee on Offices of Profit) 194

13.8 सदन के दैनंदिन कार्य से संबंधित समिति (Committee Related to Day to Day Business of the House) 194

13.8.1 कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) 194

13.8.2 निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए समिति (Committee on Private Members Bills and Resolutions) 194

13.8.3 समिति के कार्य (Functions of the Committee) 195

13.8.4 विनियम समिति (Rules Committee) 195

13.8.5 सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति (Committee on Absence of Members) 195

13.9 सदन समितियाँ (House-Keeping Committees) 195

13.9.1 सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee) 195

13.9.2 सदन समिति (House Committee) 195

13.9.3 पुस्तकालय समिति (Library Committee) ... 195

13.9.4 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के लिए गठित संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members) 195

13.10 परामर्शदात्री समितियाँ (Consultative Committees) 195

13.11 संसदीय समितियाँ: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Parliamentary Committees: A Critical Analysis) 196

13.11.1 खराब प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार कारक (Factors Responsible for Poor Effectiveness) 196

13.11.2 समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव (Suggestions to improve Functioning of Committees) 197

13.12 निष्कर्ष (Conclusion) 197

अध्याय 14

राज्य विधायिका (State Legislature) 198

14.1 प्रस्तावना (Introduction) 198

14.2 द्विसदनीय और एकसदनीय विधानमंडल (Bicameral and Unicameral Legislatures) 199

14.3 विधानसभा (Legislative Assembly) 199

14.3.1 विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly) 200

14.3.2 उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) 200

14.4 विधान परिषद् का सृजन एवं उत्सादन (Creation and Abolition of Legislative Council) 201

14.5 विधान परिषद् (Legislative Council) 201

14.5.1 विधान परिषद् का संघटन (Composition of the Vidhan Parishad) 201

14.5.2 विधान परिषद् की अवधि (Duration of Legislative Council) 202

14.5.3 विधान परिषद् के सभापति (Chairman of Legislative Council) 202

14.5.4 उप-सभापति (Deputy Chairman) 202

14.6 सदस्यता के लिए अर्हताएँ (Qualification for Membership) 202

14.7 निरर्हताएँ (Disqualifications) 203

14.8 राज्य विधानमंडल के सत्र (Sessions of State Legislature) 203

14.9 राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions of State Legislature) 204

14.9.1 विधि निर्माण कार्य (Law Making Function) 204

14.9.2 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 204

14.9.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over the Executive) 204

14.9.4 निर्वाचन कार्य (Electoral Functions) 205

14.9.5 संवैधानिक कार्य (Constitutional Functions) 205

14.10 राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की तुलना (Comparison of Two Houses of State Legislature) . 205

14.10.1 साधारण विधेयक (Ordinary Bills) 205

14.10.2 धन विधेयक (Money Bill) 206

14.10.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over the Executive) 206

14.10.4 निर्वाचन कार्य (Electoral Functions) 206

14.11 विधान-परिषद्: एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण (Legislative Council: A Critical Analysis)............... 208
14.11.1 द्वितीयक (निम्न) स्थिति के कारण (Reasons for Inferior Position)............208
14.11.2 विधान परिषद् की आलोचना (Criticism of Legislative Council)........208
14.11.3 विधान परिषद् का महत्त्व (Importance of Legislative Council) ...209
14.12 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (Privileges of State Legislature) 209
14.12.1 सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges) 209
14.12.2 व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual Privileges).........................209

अध्याय 15

संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories)...............................211
15.1 परिचय (Introduction).. 211
15.2 संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Union Territories) 212
15.2.1 प्रशासक की भूमिका (Role of Administrator) 213
15.2.2 संघ राज्यक्षेत्र: एक पृथक् इकाई के रूप में (Union Territory: A Separate Entity)....213
15.2.3 संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित विषयों का मंत्रिस्तरीय आवंटन (Ministerial Allocation of Subjects Related to Union Territories) 213
15.3 संघ राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल (Legislature of Union Territories).......................... 213
15.3.1 संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers related to Union Territories)...213
15.3.2 अनुच्छेद 239 B: अध्यादेश (Article 239 B: Ordinance) 214
15.4 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for Union Territories)........................ 214
15.5 संघ राज्यक्षेत्रों की सलाहकार समितियाँ (Advisory Committees of Union Territories)........... 214
15.6 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provision for Delhi)................................ 215
15.6.1 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा (Legislative Assembly of NCT)...........215
15.6.2 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers of NCT) 215
15.6.3 वर्चस्व के लिए संघर्ष: उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री (Struggle for Supremacy: Lt-Governor and Chief Minister).........215
15.6.4 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi Act, 2021) 216
15.6.5 निष्कर्ष (Conclusion) 216
15.7 संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh)........ 216
15.7.1 पृष्ठभूमि (Background).........................216
15.7.2 अनुच्छेद 370 – उपबंध एवं विशेषताएँ (Article 370 – Features and Provisions) 217
15.7.3 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) 217
15.7.4 निष्कर्ष (Conclusion) 219

इकाई – III: कार्यपालिका

अध्याय 16

राष्ट्रपति (President)...221
16.1 परिचय (Introduction).. 221
16.1.1 संविधान सभा वाद-विवाद (Constituent Assembly Debate) 221
16.1.2 राष्ट्रपति पद का महत्त्व (Significance of Office of the President)..222
16.2 राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President).......... 222
16.3 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ (Qualifications for the President).......................... 224
16.4 राष्ट्रपति पद की शपथ (Oath of Office of President).. 224
16.5 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें (Conditions for the Office of the President) 225
16.6 परिलब्धियाँ (Emoluments) 225
16.7 पदावधि (Term)... 225
16.8 राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of the President)........................... 225
16.9 पद की रिक्तता (Vacancy in Office) 226
16.10 उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार (Immunities and Privileges)... 227
16.11 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 227
16.11.1 कार्यकारी/प्रशासनिक शक्तियाँ (Executive/Administrative Powers).....227
16.11.2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers).....228
16.11.3 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers).........230
16.11.4 सैन्य शक्तियाँ (Military Powers) 231
16.11.5 कूटनीतिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers) .231
16.11.6 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 231

16.11.7 आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)..........................232

16.11.8 विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers).......................232

16.12 ऐतिहासिक विश्लेषण (Historical Analysis)................ 234

अध्याय 17

उप-राष्ट्रपति (Vice–President)...235

17.1 परिचय (Introduction)... 235

17.2 निर्वाचन (Election).. 235

17.2.1 अर्हताएँ (Qualifications)........................235

17.2.2 उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन: विवाद (Election of Vice-President: Disputes)...236

17.2.3 पदावधि (Term of Office) 236

17.2.4 पद रिक्तता (Vacancy in Office) 236

17.3 उप-राष्ट्रपति पद की शर्तें (Conditions of Office of the Vice-President).. 237

17.4 परिलब्धियाँ (Emoluments).................................... 237

17.5 कार्य और शक्तियाँ (Roles and Powers) 237

17.5.1 राष्ट्रपति के रूप में कर्त्तव्यों का निर्वहन (Discharge of Presidential Duties) 237

17.5.2 राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha) 237

17.6 भारत और अमेरिका के उप-राष्ट्रपति की तुलना (Indian and US Vice-President: A Comparison)..... 238

17.7 उप-राष्ट्रपति: आलोचनात्मक विश्लेषण (Vice-President: A Critical Analysis) 238

अध्याय 18

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् (Prime Minister and Council of Ministers).......................240

18.1 प्रस्तावना (Introduction).. 240

18.2 प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Related to Prime Minister) 240

18.2.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment of Prime Minister).........241

18.2.2 शपथ, पदावधि और वेतन (Oath, Term and Salary).....................242

18.3 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 243

18.3.1 मंत्रिपरिषद् के संबंध में (In Relation to Council of Ministers) ...243

18.3.2 राष्ट्रपति के संबंध में (In Relation to President)....................244

18.3.3 महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Important Officials)..244

18.3.4 संसद के संबंध में (In Relation to Parliament)..................245

18.3.5 नियोजन में भूमिका (Role in Planning).....245

18.3.6 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका (Role in International Relations) 245

18.3.7 प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ और कार्य (Other Powers and Functions of Prime Minister)..246

18.4 प्रधानमंत्री: समितियों के प्रमुख (Prime Minister: Head of Committees).................. 246

18.5 प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office: PMO)... 247

18.5.1 प्रधानमंत्री की भूमिका (Role of Prime Minister)......................247

18.5.2 प्रधानमंत्री कार्यालय का औचित्य (Rationale of PMO).............................247

18.5.3 प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्भव (Evolution of PMO) 247

18.5.4 प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना (Composition of PMO)........................247

18.5.5 प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य (Functions of PMO) 248

18.5.6 प्रधानमंत्री कार्यालय: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (PMO: A Critical Analysis).....248

18.5.7 प्रधानमंत्री कार्यालय बनाम मंत्रिमंडलीय सचिवालय (PMO vis-a-vis Cabinet Secretariat) 249

18.6 केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Central Council of Ministers)....... 249

18.6.1 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)..................250

18.6.2 मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति (Nature of Advice by Council of Ministers) 251

18.6.3 मंत्रियों की नियुक्ति (Appointment of Ministers).................251

18.6.4 मंत्रियों के उत्तरदायित्व (Responsibility of Ministers)...............251

18.6.5 मंत्रिपरिषद् की संरचना (Composition of Council of Minister)..252

18.6.6 मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी (Dismissal of Council of Minister).......253

18.6.7 मंत्रिपरिषद् का आकार (Size of Council of Minister) 254

18.7 मंत्रिमंडल (Cabinet)... 254

18.7.1 मंत्रिमंडल की भूमिका (Role of Cabinet) ..254

18.7.2 मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees)........................255

18.7.3 मंत्रियों का समूह (Group of Ministers: GoM) और शक्ति संपन्न मंत्रियों का समूह (Empowered Group of Ministers: EGoM)....256

18.7.4 मंत्रिमंडलीय समिति: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Cabinet Committee: A Critical Analysis) 256

18.7.5 आंतरिक (किचन) कैबिनेट (Kitchen Cabinet)....257

18.8 मंत्रिपरिषद् की आलोचना (Criticism of Council of Ministers).... 257

18.9 मंत्रिमंडलीय सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय (Cabinet Secretariat and Central Secretariat)........ 258

18.9.1 मंत्रिमंडलीय सचिवालय (Cabinet Secretariat)....258

18.9.2 मंत्रिमंडलीय सचिव (Cabinet Secretary)..259

18.9.3 मंत्रिमंडलीय सचिवालय की कार्य-प्रणाली: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (Working of Cabinet Secretariat: A Critical Analysis) 259

18.9.4 केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat)...260

18.9.5 मंत्रालयों/विभागों की संरचना (Structure of Ministries/Departments) 260

18.9.6 केंद्रीय सचिवालय के कार्य (Functions of Central Secretariat) 261

अध्याय 19

राज्यपाल (Governor)....262

19.1 परिचय (Introduction).... 262

19.2 नियुक्ति, शर्तें, पदावधि और निष्कासन:....262

19.2.1 नियुक्ति (Appointment) 262

19.2.2 उप-राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Lieutenant Governor) 263

19.2.3 राज्यपाल का पद धारण करने के लिए शर्तें (Conditions of Office of Governor) 263

19.2.4 पदावधि (Terms of Office)....263

19.2.5 राज्यपाल को हटाना (Removal of Governor)....263

19.3 संवैधानिक स्थिति (Constitutional Position)........ 264

19.4 राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ (Power and Functions of the Governor) 265

19.4.1 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers of the Governor)...265

19.4.2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers).....266

19.4.3 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 266

19.4.4 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers).........267

19.4.5 विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers)....267

19.5 राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियाँ (Immunities Enjoyed by the Governer).... 268

19.6 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन (Powers of President and Governor: A Comparison).... 268

19.7 विभिन्न समितियों के सुझाव (Recommendations of Various Commissions)....... 271

19.7.1 सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)....271

19.7.2 एस.आर. बोम्मई मामला (S.R. Bommai Case)....271

19.7.3 पुंछी आयोग (Punchhi Commission) 272

19.8 राज्यपाल से संबंधित हालिया मुद्दे (Recent Issues related with Office of Governor) 272

अध्याय 20

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् (Chief Minister and Council of Ministers) 274

20.1 प्रस्तावना (Introduction).... 274

20.1.1 नियुक्ति हेतु पात्रता (Eligibility for Appointment)....275

20.1.2 नियुक्ति (Appointment) 275

20.1.3 किसी भी सदन का सदस्य होना (Member of Either House)....275

20.1.4 निष्कासन (Removal) 275

20.1.5 शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term and Salary)....276

20.2 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 277

20.2.1 मंत्रिपरिषद् के संबंध में (In Relation to Council of Ministers) ...277

20.2.2 राज्य विधानमंडल के संबंध में (In Relation to State Legislature)........277

20.2.3 राज्यपाल के संबंध में (In Relation to the Governor)....278

20.3 राज्य मंत्रिपरिषद् (State Council of Ministers).... 278

20.3.1 नियुक्ति (Appointment) 278

20.3.2 उत्तरदायित्व (Responsibility) 278

20.3.3 मंत्रियों द्वारा सलाह की प्रकृति (Nature of Advice by Ministers)....279

20.3.4 संघटन (Composition)....279

20.4 संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) 280

20.4.1 अर्थ (Meaning)....280

20.4.2 लाभ का पद (Office of Profit)....280

20.4.3 लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for Holding Office of Profit) 280
20.4.4 लाभ के पद नियम में छूट (Exemptions in Office of Profit Rule) ..280

अध्याय 21

स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)....281
21.1 परिचय (Introduction) 281
21.2 स्थानीय स्वशासन का महत्त्व (Significance of Local Self Government) 281
21.3 पंचायती राज का मूल्यांकन (Evolution of Panchayati Raj) 282
21.3.1 ब्रिटिशकाल से पूर्व (Pre-British) 282
21.3.2 ब्रिटिश शासन के दौरान (During British Rule)....282
21.3.3 स्वतंत्रता के पश्चात् (Post Independence) 283
21.4 संवैधानिकीकरण प्रक्रिया (Constitutionalization Process).... 285
21.5 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd Amendment Act, 1992) 286
21.5.1 प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features)....286
21.5.2 अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान (Compulsory and Voluntary Provisions) 288
21.5.3 अनिवार्य प्रावधान (Compulsory Provisions) 289
21.6 पंचायत (अनूसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट) Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 [PESA Act] 289
21.7 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दे (Issues related with Local Self Government) 290
21.8 विकास संबंधी प्रभाव (Developmental Impacts) 291

अध्याय 22

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies)....293
22.1 भूमिका (Introduction).... 293
22.2 ब्रिटिश शासन के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का विकास (Evolution of Urban Local Bodies during British Rule) 293
22.3 संवैधानिक दर्जे की आवश्यकता (Need for Constitutional Status) 294
22.4 संवैधानिक दर्जे की ओर कदम (Steps towards Constitutional Status).... 295
22.5 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (74th Constitution Amendment Act] 1992) 295
22.6 शहरी शासनों के प्रकार (Types of Urban Governments).... 299
22.6.1 नगर निगम (Municipal Corporation)....299
22.6.2 नगरपालिका (Municipality)....299
22.6.3 अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)....300
22.6.4 नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) 300
22.6.5 छावनी बोर्ड (Cantonment Board)....300
22.6.6 शहरी क्षेत्र/टाउनशिप (Township)....301
22.6.7 पत्तन/बंदरगाह न्यास (Port Trust)....301
22.6.8 विशेष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency) 301
22.7 नगरपालिका कार्मिक (Municipal Personnel).... 302
22.8 स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद् (Central Council of Local Government).... 302
22.9 शहरी राजस्व (Municipal Revenue).... 302
22.10 शहरी स्थानीय निकाय: आलोचनात्मक विश्लेषण (ULBs: A Critical Analysis) 303
22.10.1 शहरी स्थानीय निकाय संबंधी समस्याएँ (Problems related with ULBs) 303
22.11 स्थानीय स्तर पर अभिशासन की प्रभावशीलता (Effectiveness of Governance at Local Level) 306

अध्याय 23

सहकारी समितियाँ (The Co-operative Societies) 308
23.1 परिचय (Introduction) 308
23.2 संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions).... 309
23.3 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के अधिनियमन का कारण (Reasons for 97th Constitutional Amendment Act, 2011) 309
23.4 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 की विशेषताएँ (Features of 97th Constitutional Amendment Act, 2011).... 310
23.5 सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Co-operation) 311
23.6 सहकारी समितियों से जुड़े मुद्दे (Issues related with Cooperative Societies) 311

इकाई – IV: न्यायपालिका

अध्याय 24

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 314
24.1 भूमिका (Introduction).... 314
24.2 भारत में न्यायपालिका का संगठन (Organization of Judiciary in India) 314
24.2.1 एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary)....314
24.2.2 न्यायालयों का पदानुक्रम (Hierarchy of Courts)....315

24.3 उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) 315

24.3.1 संगठन (Organization) 315

24.3.2 न्यायाधीश (Judges) 315

24.4 सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता (Independence of Supreme Court) 318

24.5 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र एवं शक्तियाँ (Jurisdiction and Powers of Supreme Court) 319

24.5.1 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र (Jurisdiction of Supreme Court) 319

24.5.2 सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of Supreme Court)................321

24.6 सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय अपील न्यायालय के रूप में (Supreme Court as National Court of Appeal-NCA) 322

24.6.1 पृष्ठभूमि (Background).........................322

24.6.2 एन.सी.ए. की आवश्यकता (Need for NCA) 322

24.6.3 एन.सी.ए. की आलोचना (Criticism of NCA) 323

24.6.4 न्यायालय की प्रक्रिया (Procedure of Court) 323

24.7 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता (Supreme Court Advocates) 323

24.7.1 वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocates)......323

24.7.2 एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड्स (Advocates-on Records)....................324

24.7.3 अन्य अधिवक्ता (Other Advocates).........324

24.8 संविधान को मजबूती प्रदान करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका (Role of Supreme Court in Strengthening the Constitution)............................ 324

24.8.1 बुनियादी ढाँचे का सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure)..............324

24.8.2 अनुच्छेद 21 का विस्तार (Expansion of Article 21) 325

24.8.3 जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) 326

24.9 न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)........................... 326

24.9.1 न्यायिक समीक्षा का अर्थ (Meaning of Judicial Review).............326

24.9.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)..................326

24.9.3 न्यायिक समीक्षा का दायरा (Scope of Judicial Review) 327

24.9.4 न्यायिक समीक्षा पर न्यायपालिका (Judiciary on Judicial Review) 327

24.9.5 राज्य और न्यायिक समीक्षा (State and Judicial Review) 327

24.9.6 न्यायिक समीक्षा: वर्तमान स्थिति (Judicial Review: Current Status).......327

24.9.7 IXवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review of IXth Schedule).....328

24.10 न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)....................... 328

24.10.1 न्यायिक सक्रियता का अर्थ (Meaning of Judicial Activism)...........328

24.10.2 न्यायिक सक्रियता के पीछे तर्क (Rationale Behind Judicial Activism)..329

24.10.3 न्यायिक सक्रियता के बारे में आशंकाएँ (Apprehensions About Judicial Activism) 330

24.11 न्यायिक संयम (Judicial Restraints)......................... 330

24.11.1 न्यायिक संयम का अर्थ (Meaning of Judicial Restraints).........330

24.11.2 न्यायिक संयम की मान्यताएँ (Assumptions of Judicial Restraints) .331

24.11.3 न्यायिक संयम पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court on Judicial Restraint) 331

24.11.4 न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम: एक तुलना (Judicial Activism and Judicial Restraint: A Comparison)......332

24.12 न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)..................... 332

24.12.1 न्यायिक अतिरेक का प्रभाव (Impact of Judicial Overreach) 332

24.12.2 न्यायिक अतिरेक के साथ बुनियादी समस्या (Basic Problem with Judicial Overreach)..333

24.13 न्यायिक निष्क्रियता/ उदासीनता (Judicial Underreach). 333

24.14 जनहित याचिका (Public Interest Litigation PIL) 334

24.14.1 पीआईएल का अर्थ (Meaning of PIL).......334

24.14.2 पीआईएल की विशेषताएँ (Features of PIL) 334

24.14.3 जनहित याचिका का दायरा (Scope of PIL) 335

24.14.4 पीआईएल के सिद्धांत (Principles behind PIL).......................335

24.14.5 पीआईएल: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (PIL: A Critical Analysis).....................336

अध्याय 25

उच्च न्यायालय (High Court) 341

25.1 परिचय (Introduction) 341

25.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)........... 341

25.3 संरचना (Composition).. 343

25.4 न्यायाधीश/न्यायमूर्ति (Judges) 343
25.4.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) 343
25.4.2 योग्यताएँ (Qualifications) 345
25.4.3 शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)...345
25.4.4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure of Judges of High Court) 345
25.5 न्यायाधीशों को हटाना (Removal of Judges) 345
25.6 वेतन एवं भत्ते (Salaries and Allowances) 346
25.7 न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer of Judges) 346
25.8 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice)..... 346
25.9 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश (Additional and Acting Judges) 346
25.10 सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judges) 347
25.11 न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) 347
25.11.1 स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता (Need for an Independent Judiciary).347
25.11.2 उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता (Independence of High Courts) 347
25.12 न्यायक्षेत्र और शक्तियाँ (Jurisdiction and Powers)...... 348
25.12.1 मूल न्यायक्षेत्र (Original Jurisdiction) 349
25.12.2 रिट न्यायक्षेत्र (Writ Jurisdiction) 349
25.12.3 अपीलीय न्यायक्षेत्र (Appellate Jurisdiction).....................350
25.12.4 पर्यवेक्षी न्यायक्षेत्र (Supervisory Jurisdiction) 350
25.12.5 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control over Subordinate Courts) 351
25.12.6 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर न्यायक्षेत्र (Jurisdiction over Administrative Tribunals)...351
25.12.7 अभिलेख न्यायालय (A Court of Record)..352
25.12.8 न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of Judicial Review)................353
25.13 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय: एक तुलना (Supreme Court and High Court: A Comparison) .. 353

अध्याय 26

अधीनस्थ न्यायालय (Sub-Ordinate Court).......................354
26.1 परिचय (Introduction).. 354
26.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)......... 354
26.2.1 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of District Judges) 354
26.2.2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Other Judges) 354
26.2.3 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control Over Subordinate Courts) 354
26.3 संरचना और न्यायक्षेत्र (Structure and Jurisdiction) 355
26.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Service Authority)....................... 355
26.5 लोक अदालत (Lok Adalat)................................... 356
26.5.1 लोक अदालत की संरचना (Composition of Lok Adalat)...............356
26.5.2 वैधानिक स्थिति (Statutory Status)..........356
26.5.3 लोक अदालत के लाभ (Benefits of Lok Adalat)......................356
26.5.4 स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) 356
26.5.5 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)...............................357
26.6 परिवार न्यायालय (Family Court) 357
26.6.1 स्थापना का कारण (Reason for Establishment)................357
26.6.2 विशेषताएँ (Features)............................357
26.6.3 परिवार न्यायालय की कार्यप्रणाली (Working of Family Court) 358
26.7 फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Court) 358
26.7.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) 359
26.7.2 विशेषताएँ (Features)............................359
26.7.3 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Fast Track Courts: A Critical Analysis)............................359
26.8 ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) 359
26.8.1 विशेषताएँ (Features)............................360
26.8.2 ग्राम न्यायालयों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Gram Nyayalayas: A Critical Analysis)............................360
26.9 न्यायाधिकरण या अधिकरण (Tribunals) 361
26.9.1 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT)..361
26.9.2 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (State Administrative Tribunals).........362
26.9.3 अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण–अनुच्छेद 323 (B) [Tribunals for Other Matters – Art 323(B)]..........................362
26.9.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (Supreme Court Judgement on Administrative Tribunals)..362

26.9.5 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Administrative Tribunals: A Critical Analysis) 363

26.10 वैकल्पिक विवाद निस्तारण (Alternate Dispute Redressal) 363

26.10.1 मध्यस्थता (Arbitration) 364

26.10.2 मध्यस्थता (Mediation) 364

26.10.3 सुलह (Conciliation) 365

26.10.4 बातचीत या वार्ता (Negotiation) 365

26.10.5 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act), 1996 के उद्देश्य ..366

अध्याय 27

न्यायपालिका से संबंधित मुद्दें (Issues related with Judiciary)....368

27.1 परिचय (Introduction) 368

27.2 न्यायिक विलंब या देरी (Judicial Delay) 368

27.3 न्यायपालिका में भ्रष्टाचार (Corruption in Judiciary).... 372

27.4 न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability).... 374

27.5 न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मुद्दे (Issues related with Judicial Appointments).... 374

27.6 विचाराधीन कैदी (Undertrials).... 377

27.7 न्यायपालिका और सूचना का अधिकार (आरटीआई) [Judiciary and Right to Information (RTI)] 378

27.8 न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court).... 379

27.9 न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व (Low Women Representation in Judiciary).... 381

27.10 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age of Judges) 381

27.11 CJI का कार्यकाल निर्धारित करना (Fixing Tenure of CJI) 381

27.12 निराधार अस्वीकृति (Baseless Recusal) 382

इकाई I

भारत का संविधान

1. भारतीय संविधान का क्रमिक विकास (Evolution of Indian Constitution) 2
2. संविधान का निर्माण (Making of the Constitution) 16
3. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Indian Constitution)....25
4. संविधानों की तुलना (Comparison of Constitutions) 34
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble to the Constitution of India) 50
6. संघ और उसके राज्य क्षेत्र (Union and its Territory)....58
7. नागरिकता (Citizenship) 71
8. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)....80
9. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) 122
10. मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties).... 135
11. संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution).... 147

अध्याय
1

भारतीय संविधान का क्रमिक विकास
(Evolution of Indian Constitution)

1.1 परिचय (Introduction)

"संविधान हमें एक स्ट्रेटजैकेट (Straitjacket) की तरह से कसकर बाँध देने के लिए नहीं बनाया गया था। संविधान के लचीलेपन (Elasticity) में ही इसकी महानता निहित है। सीमित और विभाजित सरकार के सिद्धांत के साथ समस्या यह है कि सरकार कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक सजीव प्रणाली है। यहीं से जीवंत और प्राणयुक्त संविधान का उद्‌भव होता है। यह अपने परिवेश द्वारा संशोधित किया गया है, जो इसके कार्यों के लिए आवश्यक है तथा जीवन के वास्तविक दबाव से इसके कार्यों को आकार दिया गया है। संविधान बनाने की तुलना में संविधान का क्रियान्वयन कठिन होता जा रहा है।" —**वुडरो विल्सन**

अंग्रेज 1608 ई. में व्यापारी के रूप में भारत आए। समय के साथ उन्होंने भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की सीमाओं का सीमांकन किया। समेकन के पश्चात्, उन्होंने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने तथा ब्रिटेन में बैठकर दूर से ही भारतीयों पर दृढ़ नियंत्रण रखने के लिए कानूनी चार्टर्स और अधिनियमों की आवश्यकता महसूस की। नरमपंथियों की निरंतर माँग ने भी शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दबाव डाला। संवैधानिक विकास ने मनमानी को दूर करने तथा भारत में एक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। किंतु ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास का उद्देश्य भय के द्वारा शासन करना था। हालाँकि, स्वतंत्र भारतीय संविधान में लोगों को अधिकार प्रदान कर तथा प्रशासनिक ढाँचे की स्थापना करके उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वतंत्रता के बाद, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान का निर्माण राजनीतिक क्रांतियों के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि लोक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के निकाय द्वारा अनुसंधान और विचार-विमर्श के माध्यम से किया गया था।

संविधानवाद (Constitutionalism)

संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है, जहाँ संविधान सर्वोच्च है और संस्थाओं की संरचना व प्रक्रियाएँ संवैधानिक सिद्धांत के द्वारा शासित होती हैं। यह एक खाका/ढाँचा प्रदान करता है, जिसके तहत राज्य को अपना परिचालन करना होता है। यह सरकार पर सीमाएँ भी आरोपित करता है।

1.1.1 अरस्तू के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण (Aristotle's Classification of Constitutions)

अरस्तू के लिए "संविधान" शब्द का अर्थ आज की तुलना में भिन्न था। अरस्तू ने जिस संविधान की कल्पना की थी, वह आधुनिक राष्ट्र-राज्यों (Nation-States) द्वारा निर्मित एकल, संगठित दस्तावेज (Single, Organized Document) नहीं था। अरस्तू ने लिखा है कि "संविधान नागरिक-निकाय के जीवन का तरीका है।'' अरस्तू के अनुसार, नागरिक "वे सभी थे, जो शासन के नागरिक जीवन में हिस्सा लेते हैं और बारी-बारी से शासित भी होते हैं।"

अरस्तू ने छह अलग-अलग प्रकार के संविधानों की पहचान की और उन्हें **"उचित"** या **"अनुचित"** के रूप में वर्गीकृत किया। अरस्तू के अनुसार, **"उचित"** संविधान सभी नागरिकों के सामान्य हितों की पूर्ति करता है। **"अनुचित"** संविधान केवल एक निश्चित व्यक्ति या समूह के स्वार्थ हितों की पूर्ति करता है। नीचे दिये गए चार्ट में, "गलत" संविधानों को सही संविधानों के भ्रष्ट रूपों के रूप में दिखाया गया है।

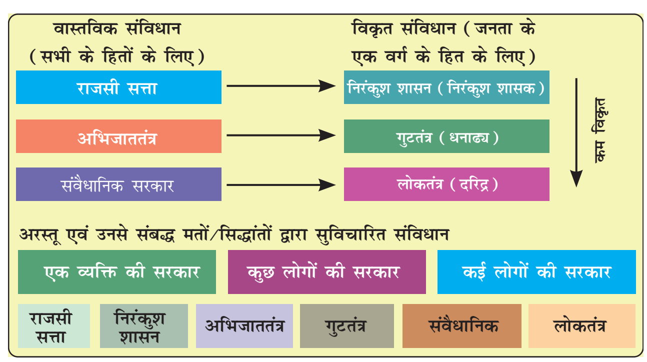

1.1.2 संविधान का महत्त्व (Significance of the Constitution)

संविधान देश का मौलिक कानून है, जो शासन के लिए विधिक् स्वीकृति प्रदान करता है। यह न केवल संस्थागत दक्षता, बल्कि नागरिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:

1. संविधान संस्थाओं की भूमिकाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उन्हें स्वतंत्रता और अन्योन्याश्रितता/परस्पर निर्भरता (Interdependence) प्रदान करता है।

2. संविधान देश के लोगों/नागरिकों को समाज की मौलिक प्रकृति/स्वरूप (Fundamental Nature) के बारे में बताता है।
3. संविधान किसी देश की सामूहिक इच्छा (Collective Will) और अंतश्चेतना / अंत:करण (Conscience) का प्रतिनिधित्व करता है।
4. संविधान सिर्फ राजनीतिक-विधिक् दस्तावेज नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक दस्तावेज भी है।
5. संविधान राष्ट्र निर्माण की विराट दृष्टि को दर्शाता है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार "केवल कानून ही अधिकारों का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक चेतना है, जो अधिकारों का निर्धारण करती है।" संविधान समाज में इस सामाजिक और नैतिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जो बदलती मूल्य प्रणालियों और नैतिक नींव के साथ विकसित होता रहता है। उदाहरण के लिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने अपना संविधान लिखा, तो केवल श्वेत अमेरिकी पुरुषों के अधिकारों को मान्यता दी गई, जबकि महिलाओं और अश्वेतों को समान अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे-जैसे समाज ने प्रगति की और समय के साथ विकास हुआ, भारत जैसे आधुनिक संविधानों ने भी स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के लागू होने के साथ ही सभी को समान अधिकार प्रदान किए।

अधिकांश संविधान, राज्य (प्रांत नहीं) के संस्थानों के बीच संबंधों को विनियमित करने की माँग करते हैं, जिसमें मूल रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध और उन शाखाओं के भीतर संस्थानों के विस्तृत संबंधों को विनियमित करना शामिल है। इस प्रकार यह एक राज्यक्षेत्र का सबसे बुनियादी या मूलभूत कानून है, जिससे अन्य सभी कानून और नियम पदानुक्रमित रूप से व्युत्पन्न होते हैं।

1.2 संविधानों का वर्गीकरण (Classification of Constitutions)

1.2.1 संहिताबद्ध संविधान (Codified Constitution)

विश्व के अधिकांश राज्यों (प्रांत नहीं) ने अपने संविधानों को संहिताबद्ध किया है। सामान्यत: संहिताबद्ध संविधान एक प्रमुख ऐतिहासिक बदलाव के बाद निर्मित होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, क्रांति, युद्ध, या सरकार की पिछली व्यवस्था का पूर्ण पतन। कोई देश किस प्रक्रिया से संविधान को अपनाता है, वह इस बुनियादी परिवर्तन का कारण बनने वाले ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रसंग से निकटता से जुड़ा होता है।

1.2.2 असंहिताबद्ध संविधान (Uncodified Constitution)

असंहिताबद्ध संविधान सदियों से चली आ रही परंपराओं और कानूनों के "उद्विकास" का उत्पाद होता है। असंहिताबद्ध संविधान के कुछ लिखित स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे- संसद द्वारा अधिनियमित संवैधानिक कानून, रॉयल चार्टर, मैग्ना-कार्टा आदि। इसके अलिखित स्रोतों में संवैधानिक परंपराएँ, पूर्व उदाहरणों का अवलोकन, शाही विशेषाधिकार, प्रथाएँ और परम्पराएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि हमेशा गुरुवार को ही आम चुनाव कराना आदि। ये सब मिलकर ब्रिटिश संवैधानिक कानून का निर्माण करते हैं।

प्रकार (Type)	स्वरूप (Form)	उदाहरण (Example)
संहिताबद्ध	एकल अधिनियम (दस्तावेज)	संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत
असंहिताबद्ध	पूरी तरह से लिखित (कुछ दस्तावेजों में)	इजराइल, सऊदी अरब
	आंशिक रूप से अलिखित	न्यूजीलैंड, ब्रिटेन

1.3 ब्रिटिश काल के दौरान संवैधानिक विकास (Constitutional Development during British Era)

ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आए थे। उन्हें भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिये गए चार्टर के तहत प्राप्त हुआ था। 1765 में, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 'दीवानी' अधिकार (अर्थात्, राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार) प्राप्त कर लिए। इस तरह के अधिकार प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक शक्तिशाली हो गई।

1858 में, "सिपाही विद्रोह" के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश क्राउन/ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्र होने तक जारी रहा। वर्ष 1947 से पहले तक अंग्रेजों द्वारा बनाये गए शासन कानूनों की व्यवस्था (System of Governing Laws) भारत के वास्तविक संविधान के रूप में कार्य करती थी।

हालाँकि, वर्तमान भारतीय संविधान 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रख्यापित (Promulgated) किया गया था, किंतु भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में बनाये गए कानूनों और शासन संरचना में निहित हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान लाये गए विभिन्न अधिनियमों को कालक्रमानुसार (Chronologically) नीचे समझाया गया है।

1.3.1 कंपनी शासन (Company Rule) (1772-1858)

1773 का रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act)

बक्सर का युद्ध (1764) भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए मील का पत्थर था। इसमें विजय प्राप्त करने और कंपनी के शासन को और मजबूत करने के बाद, 1773 का रेग्युलेटिंग ऐक्ट अधिनियमित (Enact) किया गया। इसने कंपनी के संचालन के साथ-साथ अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए भी कानूनी स्वीकृति प्रदान की।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इस अधिनियम ने भारत के राजस्व, सिविल और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट माँगकर कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया।
- इसने बंगाल के गवर्नर को "बंगाल के गवर्नर-जनरल" के रूप में नामित किया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद् बनाई। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया गया था।
- इसने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया। इससे पहले तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक-दूसरे से स्वतंत्र थीं।
- बंगाल के गवर्नर-जनरल को परिषद् के बहुमत की राय के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी। बंगाल के गवर्नर-जनरल के पास केवल निर्णायक मत (Casting Vote) था।

> जब मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबरी की स्थिति बन जाती है, तब गतिरोध का समाधान करने के लिए अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार होता है। इसे निर्णायक मत कहते हैं।

- इस अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन उप-न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का प्रावधान किया गया। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, नौसेना (Admiralty) और धार्मिक मामलों की सुनवाई करने की शक्ति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू सभी ब्रिटिश विषयों तक बढ़ा दिया गया था।
- इस रेग्युलेटिंग ऐक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने के साथ-साथ रिश्वत के रूप में उपहार प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

1781 का संशोधन अधिनियम (Amendment Act of 1781)

1773 के रेग्युलेटिंग ऐक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 का संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम (Act of Settlement) के रूप में भी जाना जाता है।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- **न्यायक्षेत्र (Jurisdiction):** कंपनी के कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गए गलत कार्यों या अतिचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया गया। दोनों पक्षों की सहमति से मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाये जा सकते थे। भूमि या संपत्ति के वंशागति अथवा उत्तराधिकार (Inheritance or Succession) संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था।
- **धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाज:** धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ भारतीय परिस्थितियाँ सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली का आधार थीं। सरकार को नियम बनाते समय इन्हें भी ध्यान में रखना पड़ता था।
- **प्रांतीय न्यायालयों के संबंध में नियम:** प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों (Provincial Courts and Councils) के लिए नियम बनाने की शक्ति गवर्नर-जनरल की परिषद् (Governor General Council) को दी गई थी। इससे पहले गवर्नर-जनरल द्वारा बनाये गए नियमों और विनियमों को सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक था।

पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India act), 1784

बंगाल के गवर्नर-जनरल को मुख्य रूप से चार काउंसलर्स (परिषद्/काउंसिल के सदस्य) के बीच आम सहमति की कमी के कारण निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। 1784 का पिट्स इंडिया ऐक्ट गवर्नर-जनरल को निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम ने निदेशक मंडल/संचालक मंडल (Court of Directors) की नीति की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की शुरुआत की। इसने बंगाल की तर्ज पर मद्रास और बम्बई की परिषदों में भी संशोधन किया। इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को "भारत में ब्रिटिश संपत्ति" / ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया था। यह कंपनी द्वारा अधिगृहीत भारतीय क्षेत्र पर क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला स्पष्ट वक्तव्य था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया।

- अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक व सैन्य, सरकार तथा राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दे दिया।
- अधिनियम के तहत इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार का एक अलग विभाग बनाया गया, जिसका मुख्य कार्य कंपनी के निदेशकों और भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखना था।
- दोहरे नियंत्रण की प्रणाली: इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण (द्वैध शासन) की प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) सम्राट (क्राउन) का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि निदेशक मंडल (Court of Directors) कंपनी का प्रतीक था। संरक्षण या नियुक्तियों के साथ-साथ कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ निदेशक मंडल के हाथों में थीं। दूसरी ओर, नियंत्रण बोर्ड को निदेशकों और भारतीय प्रशासन के नीतिगत मामलों पर नियंत्रण का कार्य सौंपा गया था।
- गवर्नर-जनरल की परिषद् के सदस्यों (काउंसलर्स) की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। इन तीन में से एक स्थान कमांडर-इन-चीफ (मुख्य सेनापति) को दे दिया गया। यह गवर्नर-जनरल के निर्णायक वोट की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया गया था। तीन सदस्यीय निकाय में, गवर्नर-जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में लेकर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता था।
- प्रत्येक दो प्रेसीडेंसी में एक गवर्नर और एक कमांडर-इन-चीफ सहित तीन काउंसलर्स (परिषद् के सदस्य) नियुक्त किये गए थे।
- निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यकारी परिषद् में बंगाल के गवर्नर-जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी।

1786 का संशोधन अधिनियम (The Amending Act of 1786)

ब्रिटिश सरकार द्वारा 1786 का संशोधन अधिनियम गवर्नर-जनरल को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इसने गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद् के निर्णय को रद्द (Override) करने तथा असाधारण परिस्थितियों में इसकी सहमति के बिना कार्य करने की शक्ति प्रदान की। तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस चाहता था कि उसे और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। 1786 का संशोधन अधिनियम उसी का प्रत्यक्ष परिणाम है।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों के रूप में काम करने की शक्ति प्राप्त हुई तथा वह नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) और निदेशक मंडल (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) के अधिकार के तहत पहला प्रभावी शासक बना।
- इस शक्ति का प्रयोग करते हुए लार्ड कार्नवालिस ने न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित किया तथा बंगाल में प्रशासनिक सुधार और स्थायी बंदोबस्त को लागू किया।

1793 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1793)

1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की समीक्षा की गई। इस अधिनियम ने कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इसने गवर्नर-जनरल को और अधिक शक्ति एवं नियंत्रण प्रदान किया तथा बम्बई एवं मद्रास की अधीनस्थ प्रेसीडेंसी को नियंत्रित किया।
- गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषदों को रद्द करने की शक्ति प्रदान कर दी गई।
- गवर्नर-जनरल को परिषद् के सदस्यों में से अपनी कार्यकारी परिषद् का उपाध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी।
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की नौसैन्य अधिकारिता (Admiralty Jurisdiction) को गहरे समुद्र तक विस्तारित किया गया था।
- नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, लाभांश आदि का भुगतान भारतीय राजस्व से किये जाने का प्रावधान किया गया, जिससे 'धन की निकासी' में बहुत वृद्धि हुई। यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही।

1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813)

1813 के चार्टर अधिनियम को पारित करके, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। यह अधिनियम इस मायने में महत्त्वपूर्ण था कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- कंपनी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा सम्मिलित राजस्व के साथ भारत में इसके क्षेत्रीय अधिग्रहण अनुदान को अगले बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
- ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के लिए भारत आने की अनुमति दी गई।

- ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार।
- हालाँकि, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से शासन के संदर्भ में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया, किंतु इसने पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न कर पाने पर उन्हें दंडित करने का अधिकार प्रदान किया।

1833 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833)

1833 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले बीस वर्षों के लिए पुन: नवीनीकृत किया। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया। गवर्नर-जनरल को सभी नागरिक एवं सैन्य कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था व निर्देशन का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं। इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार भारत के गवर्नर-जनरल को भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे।
- इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया तथा अब से कंपनी को केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में भारत में रहने का अधिकार प्राप्त था। यह प्रदर्शित करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही (क्राउन) के नियंत्रणाधीन थे। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से भी वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर-जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार प्रदान किये गए। पिछले अधिनियमों के तहत बनाये गए कानूनों को नियामक कानून कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाये गए कानूनों को ऐक्ट या अधिनियम कहा गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को अब "भारतीय मामलों का मंत्री" पद दिया गया।
- 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की तथा स्पष्ट किया कि मूल भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार को धारण करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया था।
- चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् में विधि-विशेषज्ञ के रूप में एक नया सदस्य जोड़ा गया। उसका कार्य मुख्यत: गवर्नर-जनरल को विधि निर्माण में सहायता करना था। उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था।

1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853)

ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए चार्टर अधिनियम, 1853 को अधिनियमित किया गया। 1793, 1813 और 1833 के पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत, जिसने चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया; इस अधिनियम में कंपनी चार्टर के नवीनीकरण की समय-सीमा का उल्लेख नहीं था। ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित करने के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर-जनरल थे।

यह 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम था। यह अधिनियम संवैधानिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इसने भारत के गवर्नर-जनरल के विधायी और कार्यपालिका संबंधी (कार्यकारी) कार्यों को पृथक् कर दिया।
- इसने पहली बार भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर-जनरल की परिषद् के छह नए विधायी सदस्यों में से चार सदस्यों को प्रांतीय (मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा) गवर्नरों द्वारा नियुक्त किया जाना था।
- कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस परिषद् का पदेन सदस्य होना था।
- इंग्लैंड में कंपनी के निदेशकों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया।
- निदेशक मंडल को नई प्रेसीडेंसी गठित करने या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
- इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तद्नुसार, 1854 में मैकाले समिति (भारतीय सिविल सेवा समिति) की नियुक्ति की गई।

1.3.2 ब्रिटिश ताज/राजशाही का शासन (The Crown Rule) (1858-1947)

1858 का भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1858)

भारत सरकार अधिनियम, 1858, जिसे 'भारत के बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम' के रूप में जाना जाता है, 1858 में पारित

किया गया था। यह महत्त्वपूर्ण अधिनियम 1857 के विद्रोह के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विद्रोह को 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' या 'सिपाही विद्रोह' के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने सरकार की शक्तियों, क्षेत्रों व राजस्व अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन (राजशाही) को हस्तांतरित कर दिया।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इस अधिनियम से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राज्ञी के अधीन चला गया।
- गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में था। कंपनी की सशस्त्र सेनाएँ ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गईं।
- इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर भारत में दोहरे नियंत्रण की शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) के रूप में एक नया पद सृजित किया, जिसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण था। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
- भारतीय परिषद् (Indian Council) सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का एक सलाहकारी निकाय था, जिसे भारतीय प्रशासन के उनके अनुभव के लिए चुना गया था, जिससे भारत में ब्रिटिश राज्य सचिव के विरुद्ध भारतीय राजस्व की सुरक्षा की जा सके। भारत परिषद् को यह देखना था कि भारतीय सिविल सेवा के साथ राजनीतिक कारणों से कोई छेड़छाड़ न की जाए।
- भारत परिषद् में पंद्रह सदस्य शामिल थे, जिनमें से सात का चयन निदेशक मंडल द्वारा किया जाना था और शेष आठ सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाना था। भारत का राज्य सचिव इस परिषद् का अध्यक्ष था।

भारत सरकार अधिनियम, 1858 का महत्त्व (Significance of the GOI Act, 1858)

1858 में पारित अधिनियम महान संवैधानिक महत्त्व की घटना थी। इसने भारतीय इतिहास के एक वृहद काल, अर्थात् ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और ताज (ब्रिटिश राजशाही) के प्रत्यक्ष शासन के एक नए युग की शुरुआत की।

अधिनियम ने उत्तरदायित्व के प्रसार को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के बीच सरकार की शक्तियों का विभाजन हुआ। लेकिन, अधिनियम भारतीयों को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार देने में विफल रहा तथा उन्हें अपने देश के प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं दी गई थी।

1861 का भारत परिषद् अधिनियम (Indian Councils Acts of 1861)

1861 के भारत परिषद् अधिनियम को भारत के संविधान के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस अधिनियम के तहत, विधायी उद्देश्यों के लिए आयोजित बैठकों में भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। इस विकास को 'परोपकारी निरंकुशता' (Benevolent Despotism) की नीति कहा गया क्योंकि सरकार पहले की तरह नागरिकों के प्रति गैर-जिम्मेदार बनी रही।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
- इस अधिनियम ने पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की।
- वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारी परिषद् में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकते थे। 1862 में तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया गया था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद् में 5वें सदस्य को शामिल किया गया, जो 'विधिक् व्यवसाय की दृष्टि से एक शिष्ट पुरुष, तकनीकी अधिवक्ता की बजाय एक न्यायविद' होना चाहिए था।
- विधान के प्रयोजन के लिए गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत 'न्यूनतम 6 और अधिकतम 12' सदस्यों को जोड़कर कार्यकारी परिषद् को मजबूत किया जाना था। अतिरिक्त सदस्यों में से कम-से-कम आधे गैर-सरकारी सदस्य होने थे। इनका कार्यकाल दो वर्ष था।
- परिषद् का कार्य अत्यंत सीमित था तथा अधिनियम के अनुसार कोई भी अन्य व्यवसाय तथा लेन-देन स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित था।
- यद्यपि, विधि-निर्माण के विषयों का केंद्र और प्रांतों के मध्य कोई विभाजन नहीं किया गया था, तथापि सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाकघर, टेलीग्राफ, धर्म, पेटेंट और कॉपीराइट से संबंधित उपायों के संबंध में आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाता था।
- गवर्नर-जनरल को विधायी उद्देश्यों के लिए नए प्रांत बनाने और उनके लिए लेफ्टिनेंट-गवर्नर नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी। उन्हें किसी भी प्रेसीडेंसी, प्रांत या क्षेत्र की सीमाओं को विभाजित करने या बदलने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

भारत परिषद् अधिनियम, 1892 (Indian Councils Act, 1892)

1892 के अधिनियम ने विधायिका के कार्यों का और विस्तार किया। इसने भारतीयों को परिषदों में उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया और इस प्रकार देश में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी। यह अधिनियम बाद के चरण में संसदीय सरकार की स्थापना के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- परिषद् में सदस्यों की संख्या का विस्तार: गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् को कानून बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सदस्यों के साथ विस्तारित किया गया था, जिनकी संख्या बंबई और मद्रास में 'दस से कम या सोलह से अधिक नहीं' होनी थी।
- अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली: गैर-सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू की गई। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को अनुशंसित करने की शक्ति, जिला बोर्डों, व्यापार संघों, विश्वविद्यालय, नगरपालिकाओं, जमींदारों, सीनेट आदि निकायों को दी गई।
- परिषद् के कार्यों का विस्तार: कार्यकारी परिषद् के सदस्यों को लोकहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर चर्चा करने का अधिकार पहली बार परिषद् को प्रदान किया गया था, लेकिन इस पर मत देने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 (Indian Councils Act, 1909)

इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का मॉर्ले-मिंटो सुधार 1892 के भारत परिषद् अधिनियम के बाद अगली संवैधानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। सुधारों का प्रारूप लॉर्ड मॉर्ले, राज्य सचिव और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा तैयार किया गया था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- **विस्तारित विधान परिषद्:** मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने विधान परिषद् के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई।
- **कार्यों का विस्तार:** विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर चर्चा के लिए विस्तृत नियम बनाये गए थे। प्रत्येक सदस्य को कराधान में परिवर्तन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था।
- **प्रश्न पूछने का अधिकार:** सदस्यों को किसी भी बिंदु (बजट सहित) को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। हालाँकि, विभाग के प्रभारी सदस्य पूरक प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकते थे। वह इसके लिए कुछ समय की माँग भी कर सकते थे।
- **आम जनहित के मामलों पर चर्चा:** अधिनियम के तहत विधान परिषदों में आम जनहित के मामलों पर चर्चा के लिए नियम भी बनाये गए।
- **कार्यकारी परिषद्:** अधिनियम ने बंबई, बंगाल और मद्रास प्रांत में कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी। इसने सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत के लिए भी एक कार्यकारी परिषद् गठित करने का अधिकार दिया। इसने (पहली बार) भारतीयों के वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों को साथ जोड़ने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद् में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।
- **पृथक् निर्वाचन क्षेत्र:** इसने 'पृथक् निर्वाचक मंडल' की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की नींव रखी। शेष सीटें नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को आवंटित की गई, जिन्हें 'सामान्य मतदाता' कहा जाता था। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार, सांप्रदायिकता को वैध बनाने के लिए अधिनियम की आलोचना की गई और लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के पिता' के रूप में जाना जाने लगा।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)

1919 के भारत सरकार अधिनियम को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इस समय एडविन सैमुअल मांटेग्यू राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- **केंद्र और प्रांतों के लिए अलग-अलग विषय:** अधिनियम ने केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। केंद्रीय व प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालाँकि, सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही।
- **प्रांतों में द्वैध शासन:** अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को दो भागों 'स्थानांतरित और आरक्षित' में विभाजित कर दिया।

स्थानांतरित विषयों को विधान परिषद् के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाना था। दूसरी ओर, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा उनकी कार्यकारी परिषद् की सहायता से किया जाना था, जो विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी योजना को 'द्वैध शासन' के नाम से जाना जाता था। हालाँकि, यह प्रयोग काफी हद तक असफल रहा।

- **द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव:** इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनात्मकता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार, भारतीय विधान परिषद् को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन (राज्य परिषद्) और एक निम्न सदन (विधानसभा) शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था।
- **कार्यकारी परिषद् का विस्तार:** इसके लिए आवश्यक था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद् के छह सदस्यों में से तीन (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) भारतीय हों।
- **पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार:** इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया।
- **सीमित मताधिकार:** इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
- **उच्चायुक्त का कार्यालय:** अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया।
- **लोक सेवा आयोग:** अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ऐसा भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज (1923-24) पर ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था।
- **सांविधिक् आयोग:** अधिनियम में इसके लागू होने के दस वर्षों के पश्चात् इसकी जाँच करने और इसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए एक सांविधिक् आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

द्वैध शासन (DYARCHY)

1919 के अधिनियम के प्रावधानों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान प्रांतीय प्रशासन से संबंधित थे। अधिनियम ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत करके उत्तरदायी सरकार के प्रारंभ को चिह्नित किया।

द्वैध शासन का सीधा सा अर्थ– दोहरी सरकार या दो सत्ताओं का शासन था। विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय सूची को आगे 'आरक्षित और स्थानांतरित विषय' में विभाजित किया गया था।

- **आरक्षित विषय:** इन विषयों को गवर्नर के नियंत्रण में रखा जाता था। आरक्षित विषयों में पुलिस; न्याय का प्रशासन; भू-राजस्व; सिंचाई और नहरें; अकाल राहत; समाचार-पत्रों, प्रेस एवं पुस्तकों का नियंत्रण; उधार; वन; कारागार एवं सुधार गृह; श्रम विवादों का निपटारा आदि विषय शामिल थे। इन्हें "राष्ट्र निर्माण विभाग" कहा जाता था।
- **हस्तांतरित विषय:** इसमें वे विषय शामिल थे, जिनके लिए अधिक स्थानीय जानकारी और अनुभव की आवश्यकता थी। स्थानांतरित विषयों में शिक्षा; लोक निर्माण; कृषि एवं मत्स्य पालन; स्थानीय स्वशासन; आबकारी; सार्वजनिक स्वास्थ्य; स्वच्छता एवं चिकित्सा प्रबंधन; उद्योग तथा औद्योगिक अनुसंधान विकास शामिल थे।
- **प्रांतीय कार्यपालिका:** प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल और उसकी परिषद् के सदस्य शामिल थे। गवर्नर की सिफारिश पर क्राउन द्वारा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। परिषद् के इन पदेन सदस्यों को विधानमंडल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता था। गवर्नर को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए व्यापक अधिकार दिये गए थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद् की सहायता से करता था।
- **गवर्नर और उसके मंत्री:** हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके मंत्रियों द्वारा किया जाता था। मंत्रियों का चयन गवर्नर द्वारा विधानमंडल के गैर-सरकारी सदस्यों में से किया जाता था, जो उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते थे। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मंत्रियों की अधिकतम संख्या प्रांतों के मध्य एक समान नहीं थी।
- **प्रांतीय विधानमंडल:** प्रांतीय विधानमंडल एक सदनीय था, जिसे विधान परिषद् के रूप में जाना जाता था। इसे बढ़े हुए कार्य एवं शक्तियाँ सौंपी गई। विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव करने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई।

1919 के अधिनियम की कमियाँ (Shortcomings of the Act of 1919)

- प्रशासनिक द्विभाजन का सिद्धांत ही दोषपूर्ण, अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक था।
- विधान परिषद् के मंत्रियों को मतदाताओं व राज्यपाल दोनों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इससे जवाबदेहिता समाप्त हो गई।
- मोंटफोर्ड सुधारों में प्रस्तावित सुधार कांग्रेस विशेषकर स्वराजवादियों द्वारा स्व-शासन की माँग से बहुत कम थे। इस अधिनियम का भारत में व्यापक विरोध किया गया।

साइमन कमीशन (Simon Commission)

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अनुसार, दो वर्ष पूर्व साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रीय माँग पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी।

आयोग का गठन (Constitution of the Commission)

ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। अध्यक्ष के अलावा इसमें शामिल सभी सात सदस्य अंग्रेज थे। आयोग को व्यापक अधिकार दिये गए थे। इसे 1919 के अधिनियम के प्रावधानों व कार्यों की जाँच करने के लिए गठित किया गया था। संक्षेप में, साइमन कमीशन का गठन द्वैध शासन के कामकाज की जाँच करने तथा संभावित संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए किया गया था।

भारतीय प्रतिक्रिया (Indian Reaction)

आयोग में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने की व्यापक निंदा हुई। कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर और हर रूप में आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया।

आयोग की रिपोर्ट (Report of the Commission)

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

1. द्वैध शासन की विफलता को ध्यान में रखकर इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया जाना चाहिए तथा प्रांतीय प्रशासन के कुशल संचालन के लिए मंत्रियों को अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
2. केंद्र सरकार को संघीय सिद्धांत के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत, बल्कि रियासतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. आधिकारिक ब्लॉक को समाप्त कर प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा मुसलमानों को विशेष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
4. इसने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को जारी रखने की सिफारिश की।

सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award)

साइमन कमीशन की सिफारिशों के पश्चात् अगस्त, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जाना जाता है। इस पंचाट ने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल के प्रावधान को जारी रखा। इसके अलावा, इसका विस्तार दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) तक कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के दलित वर्गों तक विस्तार से गाँधी व्यथित थे, क्योंकि इससे 'फूट डालो और राज करो' की नीति को मजबूती मिली। उन्होंने पंचाट में संशोधन करने की माँग के लिए यरवदा जेल (पूना) में आमरण अनशन किया।

पूना पैक्ट (Poona Pact)

अंत में, कांग्रेस नेताओं (मुख्य रूप से महात्मा गाँधी) और दलित वर्गों (मुख्य रूप से बी.आर. अंबेडकर) के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। इस समझौते ने हिंदू संयुक्त मतदाताओं को बनाए रखते हुए दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया।

भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act), 1935

1935 का भारत सरकार अधिनियम संविधान निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष था, जो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ शुरू हुई थी।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

1935 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:

- इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और इच्छुक रियासतें शामिल थीं। हालाँकि, अधिनियम का यह प्रावधान बिल्कुल लागू नहीं किया गया।
- अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की और प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया।
- इस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की, अर्थात् राज्यपाल को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 1937 में लागू किया गया तथा 1939 में समाप्त कर दिया गया।
- दो सदनों- राज्य परिषद् तथा संघीय विधानसभा को मिलाकर संघीय विधानमंडल का गठन किया जाना था।
- अधिनियम के विवादास्पद खंडों की व्याख्या करने तथा घटक इकाइयों के मध्य एवं किसी इकाई व संघीय सरकार के बीच उत्पन्न विवादों के निपटान के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वर्तमान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इसी मॉडल पर आधारित है।
- अधिनियम ने तीन सूचियों-संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 मदों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 मदों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 मदों के साथ) के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को प्रदान की गईं।

- अल्पसंख्यकों के लिए चुनावी सुरक्षा और आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
- इसने दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
- इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समूह का प्रावधान किया गया।
- इसने मताधिकार का विस्तार किया। कुल जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था।
- इसने देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया।
- इसने दो या अधिक प्रांतों के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का महत्त्व (Significance of Government of India Act, 1935)

भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रदान की गई संरचना पर आधारित है। इस अधिनियम से लिये गए प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **संघवाद:** भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने पहली बार भारत में सरकार की संघीय प्रणाली की शुरुआत की। हालाँकि, यह रियासतों के विरोध के कारण व्यवहार में नहीं लाया जा सका किंतु संघवाद के इस विचार को 1950 के संविधान में अपनाया गया था।
- **विषयों का वितरण:** विषयों को 3 सूचियों- संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया था। यह 1935 के अधिनियम में शुरू की गई केंद्र में द्वैध शासन की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान भी अनुसूची-VII के तहत तीन सूचियों का प्रावधान करता है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में उल्लिखित हैं।
- **केंद्र में द्वैध शासन:** इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा संघीय विधानसभा और राज्य परिषद् (द्वि-सदनीय प्रकृति) के उत्तराधिकारी हैं।
- **अखिल भारतीय न्यायालय:** पहली बार 'भारत का संघीय न्यायालय' नामक एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
- **आपातकालीन शक्तियाँ:** प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के पास उत्तरदायी सरजकार को निलंबित करने का अधिकार था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की उत्पत्ति का स्रोत है, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
- **राज्यपाल का कार्यालय:** राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम में प्रदान किया गया था और स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय संविधान में अपनाया गया था।
- **लोक सेवा आयोग:** संघीय लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act of 1947)

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जो 5 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया तथा 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
- इसने भारत का विभाजन कर दो अधिराज्यों के निर्माण का प्रावधान किया।
- इसने वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया तथा प्रत्येक अधिराज्य के लिए एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था।
- इसने दो अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने, उसे अपनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वाधीनता अधिनियम भी शामिल था।
- दोनों उपनिवेशों की संविधान सभाओं को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार तब तक के लिए प्राप्त था, जब तक नए संविधानों का मसौदा तैयार नहीं हो जाता तथा उसे लागू नहीं किया जाता। 15 अगस्त, 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद के किसी अधिनियम द्वारा तब तक नए अधिराज्यों में से किसी का विस्तार नहीं किया जा सकता था, जब तक कि अधिराज्य की विधायिका के कानून द्वारा इसे विस्तारित नहीं किया गया हो।
- इसने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया।

- इसने प्रत्येक डोमिनियन और प्रांतों के शासन के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रावधान किया, जब तक कि उनके नए संविधान का निर्माण नहीं किया जाता। हालाँकि डोमिनियनों को अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था।
- 14-15 अगस्त, 1947 की अर्द्ध-रात्रि को, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया तथा भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई।
- इसने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि-संबंधों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की।

अंतरिम सरकार, 1946 (Interim Government, 1946)

भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अस्थायी सरकार (Provisional Government) के रूप में भी जाना जाता है, का गठन 2 सितंबर, 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था। यह 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में रही थी। इसमें कुल 15 सदस्य थे।

सदस्य और विभाग/मंत्रालय (Member and Portfolio)

सदस्य	विभाग
विस्काउंट वावेल (15 अक्टूबर, 1946 – 20 फरवरी, 1947)	वाइसराय और भारत का गवर्नर जनरल
बर्मा का विस्काउंट माउंटबेटन (21 फरवरी, 1947)	कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष
सर क्लाउड औचिनलेक	कमांडर-इन-चीफ
जवाहरलाल नेहरू	परिषद् का उपाध्यक्ष; विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना और प्रसारण
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य और कृषि
डॉ. जॉन मथाई	उद्योग और नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
सी. एच. भाभा	कार्य, खान और ऊर्जा
लियाकत अली खान	वित्त
अब्दुर रब निश्तार	रेलवे और संचार, डाक और वायु
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा और कला
इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर	वाणिज्य
गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
जोगेंदर नाथ मंडल	विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, 1947 (First Cabinet of Free India (1947))

सदस्य	विभाग
जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य और कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	रेलवे और परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	विधि
जगजीवन राम	श्रम

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, 1947 (First Cabinet of Free India (1947)	
सदस्य	**विभाग**
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	संचार
डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान और ऊर्जा

संवैधानिक विकास एक दृष्टि में (Constitutional Development at a Glance)	
अधिनियम (Acts)	**विशेषताएँ (Features)**
रेगुलेटिंग एक्ट (1773)	• बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) के रूप में नामित किया गया। • केंद्रीकरण (Centralisation): युद्ध या शांति जैसे मामलों में बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। • परिषद् में स्थापित गवर्नर जनरल = 5 सदस्य [1 गवर्नर जनरल और 4 सदस्य]। • कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय (1774) – प्रथम मुख्य न्यायाधीश: एलिजा इम्पे। • भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक का प्रावधान – कंपनी के कर्मचारियों को निजी या व्यक्तिगत व्यापार में शामिल होने पर रोक लगा दी गई। • ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का गठन (24 निदेशक)। • भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया, जिससे नियंत्रण को मजबूत किया गया। • ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला प्रयास।
पिट्स इंडिया एक्ट (1784) (विलियम पिट, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री)	• इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित किया व उन्हें मान्यता दी। **द्वैध प्रणाली:** वाणिज्यिक मामलों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था। • नियंत्रण बोर्ड = 6 सदस्य [2 कैबिनेट मंत्री और 4 प्रिवी काउंसिल सदस्य]। • गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् = 4 सदस्य [1 + 3 (ICS)]। • कार्यकारी परिषद् में बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई। • ब्रिटिश नियंत्रित भारत के नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व संबंधी सभी कार्यों के अधीक्षण व नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दिया गया। • भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' (British Possessions in India) कहा गया। • ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया।
चार्टर एक्ट (1793)	• इसने कंपनी के व्यापार के एकाधिकारी विशेषाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। • गवर्नर जनरल को परिषद् के सदस्यों पर सर्वोपरि (Overriding) शक्तियाँ दी गईं। • धन का निकास – 'नियंत्रण बोर्ड' के सदस्यों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किए जाने का प्रावधान किया गया। • वास्तव में, कमांडर-इन-चीफ कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं रहा।
चार्टर एक्ट (1813)	• ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छूट दी गई। • परोपकारी निरंकुशता (Benevolent Despotism) – कंपनी शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करेगी (श्वेत पुरुषों का बोझ)। • ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की अनुमति दी। • कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया।